न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 67/2023

1. ककूदेवी पत्नी श्री सावणराम जाति मेघवाल निवासी 8 के.वाई.डी. तह0 खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. महेश चाण्डक पुत्र बृजमोहन चाण्डक जाति चाण्डक निवासी 7 के.वाई.डी. तह0खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :— दिनांक :— 30.05.2023

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम से चक नं. 7 के.वाई. डी.'बी' के मु0नं0 176/37 के किला नं0 1/1 में 0.0253 है0, 2/1 में 0.0379 है0, 3/1 में 0.0379 है0, 4/1 में 0.0506 है0, 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है0 कुल तादादी 1.4794 है0 क0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीया अपने परिवार सहित निवास करती आ रही है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से मु0नं0 चक नं. 7 के.वाई.डी.'बी' के मु0नं0 176/37 के किला नं0 11 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21 ता 25 में 0.2150 है. कुल तादादी 3.6040 है0 कमाण्ड कृषि भूमि है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आने जाने व काश्त कार्य करने के लिए अप्रार्थी सं0 1 के 176/37 के किला नं0 11 में 0. 0253 है0, 20 में 0.0253 है0 व 21/2 में 0.0253 है0 भूमि में दक्षिण दिशा की तरफ से रास्ता है तथा उक्त रास्ता निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है, जो रास्ता डामर सड़क से प्रार्थीया की ढाणी तक जाता है। जिसे प्रार्थीया लगातार उपयोग व उपभोग करती रही है। वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया । अतः प्रार्थीया उक्त किला नं0 11 में 0.0253 है0, 20 में 0.0253 है0, 21/2 में 0.0253 है0 भूमि दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता प्रस्तावित किया है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 25.05.2023 के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 11, 20 व 21 पर आने जाने के लिए रास्ता चल रहा है। प्रार्थीया ककूदेवी आने जाने के लिए व खेत में आवागमन के लिए उक्त रास्ता का उपयोग करती है। अतः मौका पर चालू रास्ता मु0 नं0 176/37 के किला नं0 11, 20 व 21 भूमि में प्रस्तावित किया जाता है प्रार्थीया को आवागमन (अपने खेत में) प्रवेश के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं लगता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा 7 के.वाई.डी.'बी' के मु0नं0 176/37 के किला नं0 11, 20, 21 प्रत्येक में चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 2–2 बिस्वा कुल 06 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थीया से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)